न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 88/2023 दायर दिनाँक 28.06.2023

वादी		प्रतिवादी
1. प्रेम सुख राम पुत्र श्री जगन्नाथ राम जाति नाई उम्र 41 वर्ष निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना। 2. भंवरी पुत्री जगन्नाथ राम 3. मनोहर पुत्र जगन्नाथ राम 4. पुष्पा देवी पत्नी स्व. फतेहचन्द 5. भंवरलाल पुत्र स्व. फतेहचन्द 6. चन्दा पुत्री स्व. फतेहचन्द 7. श्रवण कुमार सैन पुत्र स्व. फतेहचन्द समस्त जाति नाई निवासीगण दयालपूरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 09.05.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की कृषि भूमि खेत खसरा सं0 600 रकबा 3.9400 हैक्टे0 बारानी 1 वाके सरहद दयालपूरा पटवार हल्का मावां भू0 अभि0 नि0 दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में अवस्थित है जो वादी की संयुक्त खातेदारी व हक अधिकार व कब्जे काश्त में है।

उक्त खेत खसरा संख्या 600 की भूमि में राजस्व कर्मचारियों की भूल/सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम प्रेमाराम दर्ज कर दिया तथा वादी के पिता का नाम रामपाल दर्ज कर दिया है, जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रेमसुखराम तथा वादी के पिता का वास्तविक नाम जगन्नाथ राम है जो सही एवं सत्य है। वादी के अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड में जबकि वादी व उसके पिता का नाम प्रेम सुख राम पुत्र जगन्नाथ राम अंकित है। जिससे वादी राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमाराम पुत्र रामपाल के स्थान पर प्रेम सुख राम पुत्र जगन्नाथ राम दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

खेत खसरा सं. 600 रकबा 3.9400 हैक्टे0 बारानी 1 वाके सरहद दयालपूरा में वादी का नाम प्रेमाराम के स्थान पर प्रेम सुख राम तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के दादा का नाम रामपाल के स्थान पर सही नाम जगन्नाथ राम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खसरा नं. 600 में अन्य सहखातेदार प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता का नाम रामपाल के स्थान पर जगन्नाथ राम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की ओर इकबालिया जवाब [illegible] के पत्र क्रमांक/प.1(7) रीडर/2024/10 दिनांक 01.01[illegible] [illegible] रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना [illegible] खसरा सं0 600 में प्रार्थी का [illegible] नामा0 सं0 565 [illegible] से प्रेमाराम पुत्र रामपाल जाति नाई सहखाते[illegible] सं. 565 के अनुसार रामपाल व जगनाथ [illegible] वर्तमान पहचान दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमसुखराम पुत्र जगन्नाथराम व राशन कार्ड में प्रेमसुख पुत्र जगन्नाथ निवासी दयालपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) में प्रार्थी का नाम प्रेमाराम पुत्र रामपाल दर्ज है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद दयालपूरा के खेत खसरा सं0 600 में वादी व उसके पिता का प्रेमाराम पुत्र रामपाल के स्थान पर प्रेम सुख राम पुत्र जगन्नाथ राम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार सरहद दयालपूरा के खसरा सं0 600 में प्रार्थी का नाम नामा0 सं0 565 विरासत से प्रेमाराम पुत्र रामपाल जाति नाई सहखातेदारी में दर्ज हुआ है। नामान्तरण सं. 565 के अनुसार रामपाल व जगनाथ दोनो भाई है। प्रार्थी के वर्तमान पहचान दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमसुखराम पुत्र जगन्नाथराम व राशन कार्ड में प्रेमसुख पुत्र जगन्नाथ निवासी दयालपुरा दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) में प्रार्थी का नाम प्रेमाराम पुत्र रामपाल दर्ज है। उक्त विरासतन नामान्तरकरण में नाम प्रेमाराम पुत्र रामपाल दर्ज हुआ है जबकि वादी गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद दयालपुरा के खसरा सं0 600 वादी व उसके पिता का नाम प्रेम सुख राम पुत्र जगन्नाथ राम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 09.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner